फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत जिला कलक्टर मुकाम धौलपुर

बी0आर0के0जी0 शाखा धौलपुर बनाम बोहरा नत्थीलाल मानव उत्थान एवं शिक्षण संस्थान धौलपुर

किस्म मुकदमाः—अन्तर्गत धारा 14 सराफेशी एक्ट 2002 मु0 नम्बर ...12... सन् 2020

RCMS No. 2020/00031

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुय
20.10.2020	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरस्ट एक्ट, 2002 के तहत प्रार्थी श्री एल0एन शर्मा प्राधिकृत अधिकारी बी0आर0के0जी0 शाखा धौलपुर ने ऋणी/बंधक कर्त्ता 1. बोहरा नत्थी लाल मानव उत्थान एवं संस्थान प्लॉट नं. आई,पी,–3, रीको ग्रोथ सेन्टर,रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया,ओडेला रोड, धौलपुर 328001 ऋणी, 2. श्री घूरेलाल शर्मा पुत्र श्री छोटे लाल शर्मा(अध्यक्ष)(अ) विक्रमपुरा, बरेठा, जिला धौलपुर (ब) प्लॉट नं. आई,पी,–3, रीको ग्रोथ सेन्टर,रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया,ओडेला रोड, धौलपुर 328001 3. श्री कल्याण शर्मा पुत्र श्री गोविन्द राम शर्मा(सचिव) (अ) कायस्थ पाडा, धौलपुर (ब) प्लॉट नं. आई,पी,–3, रीको ग्रोथ सेन्टर,रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया,ओडेला रोड, धौलपुर 328001 4. श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री दीनदयाल शर्मा(कोषाध्यक्ष) (अ) मंगल विहार कॉलोनी, सैपऊ रोड, धौलपुर (ब) प्लॉट नं. आई,पी,–3, रीको ग्रोथ सेन्टर,रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया,ओडेला रोड, धौलपुर 328001 के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 29.10.2012 को 50,00,000/– रूपये मात्र एवं दिनांक 05.05.2016 को 1,00,00,000/– रूपये मात्र राशि का ऋण स्वीकृत किया था, इस हेतु जमानती ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे। ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित हैः— 1. बोहरा नत्थी लाल मानव उत्थान एवं संस्थान प्लॉट नं. आई,पी,–3, रीको ग्रोथ सेन्टर,रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया,ओडेला रोड, धौलपुर राज. स्थित सम्पत्ति(बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 5381 वर्गमीटर) जिसके हदूदअरबा निम्न प्रकार हैः– पूर्व में प्लॉट नं, आई.पी.–01,पश्चिम में प्लॉट जेवीवीएनएल कैम्पस व प्लॉट नं,आई0पी0 –02, दक्षिण में रोड ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से सम्यबंधक किया है, तथा प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तों के अनुसार देय है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक द्वारा दिनांक 30.09.2019 को नियमानुसार अनर्जक परिसंपत्ति(एन0पी0ए0) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। तथा दिनांक 09.10.2019 को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस भेजकर 60 दिन में ऋण राशि	

1,00,05,390/– दिनांक 30.09.2019 तक एंव इस दिनांक के बाद की ब्याज व खर्चे अतिरिक्त भुगतान करने की मांग की। ऋणी 60 दिन में उक्त राशि अदा करने में असफल रहें। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा अपने पास बतौर बंधक रखी सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

हमने प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। ऋणी/बंधक कर्त्ता द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को नोटिस जारी किये जाने के उपरांत भी ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र अनुसार बंधक रखी 1. बोहरा नत्थी लाल मानव उत्थान एवं संस्थान प्लॉट नं. आई,पी,–3, रीको ग्रोथ सेन्टर,रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया,ओडेला रोड, धौलपुर राज. स्थित सम्पत्ति(बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 5381 वर्गमीटर) जिसके हदूदअरबा निम्न प्रकार हैः–पूर्व में प्लॉट नं, आई.पी.–01, पश्चिम में प्लॉट जेवीवीएनएल GSS,उतर में रास्ता WSS कैम्पस व प्लॉट नं,आई0पी0 –02, दक्षिण में रोड, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पुलिस अधीक्षक धौलपुर को परवाना जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे ।

आदेश आज दिनांक 20.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार जायसवाल)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर